

दिनांक 25.05.2022 को जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र एवं उप समिति तथा एकल खिड़की सुगमता व्यवस्था की बैठक का एजेण्डा ।

1. मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाडीसैण की अद्यतन स्थिति:-

कुल भूमि 02.5 एकड़, कुल विकसित भूखण्ड-45, कुल विकसित भूखण्डों कीनाप- 4701.50 वर्गमी.

आवंटित भूखण्डों का विवरण

| क्र. सं. | इकाई का नाम व पता                            | प्रस्तावित उद्यम                       | भूखण्ड संख्या              | भूखण्ड का क्षेत्रफल | वर्तमान स्थिति  |
|----------|--|--|----------------------------|---------------------|---|
| 1.       | मै. जोशी फर्नीचर एवं डैकोरेटर्स              | फर्नीचर निर्माण                        | 01                         | 91.00 वर्गमीटर      | 03.11.12 से कार्यरत   |
| 2.       | मै. वाणी इंजीनियरिंग वर्क्स                  | इंजीनियरिंग वर्क्स                     | 01                         | 307.50 वर्ग मी.     | 31.03.17 से कार्यरत   |
| 3.       | मै. सूजल वेकर्स                              | बेकरी प्रोडक्ट्स                       | 01                         | 200.00 वर्ग मी.     | 07.02.15 से कार्यरत   |
| 4.       | मै. पॉलिगॉन केमिकल्स प्रा. लि.               | बेसिक आर्गनिक केमिकल्स (प्लास्टीसाइजर) | 08, 09<br>10, 11<br>12, 13 | 607.50 वर्गमी.      | कार्यशाला का निर्माण कार्य चल रहा है।   |
| 5.       | मै. शिवालिक नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स            | फल प्रसंस्करण                          | 14 से 28 तक                | 1293.75 वर्ग मी.    | 29.5.12 से कार्यरत  |
| 6.       | मै. जिला भेषज सह. संघ                        | आश्वान संयंत्र                         | 32                         | 100.00 वर्ग मी.     | स्थापित/बन्द इकाई द्वारा इसके स्थान पर कैरी बैग इकाई की स्थापना की जा रही है। |
| 7.       | मै. जिला भेषज सह. संघ                        | आफसेट प्रिंटिंग                        | 33 से 35 तक                | 300.00 वर्ग मी.     | 23.02.18 से कार्यरत   |
| 8.       | मै. मंदाकिनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग         | खाद्य प्रसंस्करण                       | 37 से 39 व 41              | 318.75 वर्गमीटर     | 15.09.10 से कार्यरत   |
| 9.       | मै0 मंदाकिनी सोया प्रोडक्ट                   | सोया प्रोडक्ट                          | 40                         | 93.75 वर्ग मी.      | 08.11.12 से कार्यरत   |
| 10.      | मै. रुद्रा फुड प्रोडक्ट्स                    | फूड प्रोसेसिंग                         | 02, 03                     | 182.00 वर्ग मी.     | कार्यशाला का निर्माण हो चुका है।  |
| 11.      | मै. रुद्रा बेकर्स रुद्रप्रयाग                | बेकरी प्रोडक्ट्स                       | 06,07                      | 171.50 वर्ग मी.     | 15.02.21 से कार्यरत   |
| 12.      | मै. गणपति एसोसि0 रुद्र0                      | आइस क्रीम                              | 29,<br>30,31               | 337.50 वर्ग मी.     | निर्माण कार्य किया जा रहा है।   |
| 13.      | मै. बद्री केदार वॉटर सप्लाय, रुद्रप्रयाग     | सोडा वाटर/ सापेंट्रिक प्लॉट            | 4 एवं 5                    | 182.00 वर्ग मी.     | रजिस्ट्री हो चुकी है। बैंक से ऋण की प्रक्रिया चल रही है।                      |
| 14.      | मै. हिम रुट्स प्राइवेट लिमिटेड, रुद्रप्रयाग। | फूड प्रोसेसिंग एवं हैज़ीक्राफ्ट        | 42, 43 एवं 44              | 281.25 वर्ग मी.     | रजिस्ट्री हो चुकी है। बैंक से ऋण की प्रक्रिया चल रही है।                      |

रिक्त भूखण्डों का विवरण

| क्र.सं. | भूखण्ड संख्या | भूखण्ड क्षेत्रफल |
|---------|---------------|------------------|
| 1.      | 36            | 100.00 वर्ग मी.  |
| 2.      | 50            | 45.00 वर्ग मीटर  |

वर्तमान में रिक्त भूखण्डों हेतु, भूखण्डों का क्षेत्रफल कम होने के कारण कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाड़ीसैण रुद्रप्रयाग में विकसित भूखण्डों के अतिरिक्त कुछ भूमि व्यवसायिक प्रयोजन हेतु अविकसित हैं, जोकि दुकानें, वाहन पार्किंग हेतु आरक्षित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 469.80 वर्ग मी० है। इसमें कार्यालय का ट्रांसफार्मर, पानी का टैंक भी स्थापित है। पानी के टैंक से लगी भूमि जो कि त्रिभुजाकार आकार में है (क्षेत्रफल 189.00 वर्ग मीटर) को भरकर वाहन पार्किंग के लिये उपयोग में लाया जा सकता है तथा अवशेष 280.80 वर्गमीटर भूमि उद्योग प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाई जा सकती है। इस भूखण्ड को औद्योगिक प्रयोजन हेतु परिवर्तन करने के लिए निदेशक उद्योग को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रयोजन परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि को विकसित कर भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे।

## 2. जनपद की औद्योगिक इकाई को विद्युत संयोजन स्वीकृति:-

विभाग के अधीन पंजीकृत इकाइयों को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्तमान में विद्युत विभाग में जनपद की किसी भी औद्योगिक इकाई का विद्युत संयोजन प्रकरण लम्बित नहीं है।

## 3. मिनी औद्योगिक आस्थान में स्थापित इकाइयों की समस्यायें:-

1. मिनी औद्योगिक आस्थान, भटवाड़ीसैण में कई विगत वर्षों से पेयजल की समस्या रहती थी, जिस हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल संस्थान को आंकलन तैयार कर महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित करने के निर्देश दिए गये थे, जिस क्रम में जल संस्थान से रु. 07.57 लाख का प्राक्कलन विभाग को प्राप्त हुआ था। तदोपरान्त विभाग द्वारा जल संस्थान को धनराशि आवंटित करते हुए, ससमय कार्य को पूर्ण कर लिया गया है।

2. मिनी औद्योगिक आस्थान में रात्रि के समय सड़को अंधेरा रहता था, जिस हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा उरेडा विभाग को आंकलन तैयार कर महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित करने के निर्देश दिए गये थे, जिस हेतु उरेडा विभाग द्वारा सौर संचालित स्ट्रीट लाइटों हेतु रु. 01.89 लाख का प्राक्कलन विभाग को प्राप्त हुआ था। तदोपरान्त विभाग द्वारा उरेडा विभाग को धनराशि आवंटित करते हुए, ससमय कार्य को पूर्ण कर लिया गया है।

3. मिनी औद्योगिक आस्थान के मुख्य द्वार पर केदारनाथ रोड पर विभाग का हिमाद्री शोरूम प्रस्तावित है, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा बजट स्वीकृत किया गया है। औद्योगिक आस्थान के मुख्य द्वार पर विभाग की कुछ भूमि रिक्त है किन्तु हिमाद्री शोरूम हेतु भूमि कम पड़ रही है। विभाग की भूमि से लगी हुई, लोक निर्माण विभाग की कुछ भूमि रिक्त है। हिमाद्री शोरूम के लिए इस भूमि को राजकीय हित में लिया जा सकता है। समिति के समक्ष उक्त कार्य हेतु आवश्यक दिशा निर्देश पारित जाने का प्रस्ताव है।

4. उद्योग मित्र समिति की बैठक में राज्य सरकार द्वारा 03 जनप्रतिनिधियों को नामित किया जाता है, जिन्हें नामित नहीं किया गया है। साथ ही समिति में दो प्रमुख औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी नामित किया जाना है। अतः समिति दो प्रमुख औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि नामित करने का कष्ट करें।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति— 2015 के तहत औद्योगिक इकाइयों को उपादान स्वीकृति:—

(क) ब्याज उपादान:—

उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2287/सात-दो/15/146— एमएसएमई/ 2013, दिनांक 03 दिसम्बर 2015 के प्रस्तर 3.2 के अन्तर्गत ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी—ए के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 10 प्रतिशत अधिकतम रु. 08.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष दिये जाने का प्राविधान है। निम्नांकित औद्योगिक इकाइयों के ब्याज उपादान का प्रकरण बैंक से प्राप्त हुए हैं।

| इकाई का नाम   | ऋण का प्रकार | वितरित ऋण लाख रु. में | वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत | अवधि                 | कुल ब्याज धनराशि रु. में | उद्यमी द्वारा वहन की जानेवाली धनराशि | 10 % की दर से ब्याज उपा.की धनराशि या एक वर्ष में अधिकतम 08 लाख |
|---|--------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. मै. चार मचान रिसोर्ट भेतसेम, गुप्तकाशी                   | सावधि ऋण     | 100.00                | 09.90                    | 01.10.21 से 31.12.21 | 1,98,185.00              | —                                    | 1,98,185.00  |
|   |              |                       |                          | 01.01.22 से 31.03.22 | 1,77,776.00              | —                                    | 1,77,776.00  |
|   |              |                       |                          | <b>योग:—</b>         | <b>3,75,961.00</b>       |                                      | <b>3,75,961.00</b>   |
| 2. मैसर्स द टूरिया हैली रिसोर्ट जाम्बू फाटा                 | सावधि ऋण     | 67.50                 | 9.40                     | 01.10.21 से 31.12.21 | 1,39,698.00              | —                                    | 1,39,698.00  |
|   |              |                       |                          | 01.01.22 से 31.03.22 | 1,30,982.00              | —                                    | 1,30,982.00  |
|   |              |                       |                          | <b>योग:—</b>         | <b>2,70,680.00</b>       |                                      | <b>2,70,680.00</b>   |
| 3. मै. होटल एंड रेस्टोरेंट ब्लू ऑरचिड, झिरमोली, रुद्रप्रयाग | सावधि ऋण     | 100.00                | 09.90                    | 01.10.21 से 31.12.21 | 1,80,884.00              | —                                    | 1,80,884.00  |
|   |              |                       |                          | 01.01.22 से 31.03.22 | 1,54,053.00              | —                                    | 1,54,053.00  |
|   |              |                       |                          | <b>योग:—</b>         | <b>3,34,937.00</b>       |                                      | <b>3,34,937.00</b>   |
| 4. मै. रुद्रा बेकर्स, भटवाड़ीसैण रुद्रप्रयाग                | सावधि ऋण     | 40.00                 | 10.65                    | 01.10.21 से 31.12.21 | 95,660.00                | 5,838.00                             | 89,822.00  |
|   |              |                       |                          | 01.01.22 से 31.03.22 | 84,119.00                | 5,134.00                             | 78,985.00  |
|   |              |                       |                          | <b>योग:—</b>         | <b>1,79,779.00</b>       | <b>10,972.00</b>                     | <b>1,68,807.00</b>   |

अतः समिति से अनुरोध है कि उपरोक्त औद्योगिक इकाइयों को ब्याज उपादान की धनराशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

(ख) विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति सहायता:—

उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

5. एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 पर विचार:—

एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 के अन्तर्गत वर्तमान में कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

6. अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:—